



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2015/माघ 24, 1936

No. 86]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2015/MAGHA 24, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 89(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i), तारीख, 19 जनवरी, 2015 में प्रकाशित, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 41(अ), तारीख 19 जनवरी, 2015 के हिन्दी पाठ में पृष्ठ संख्या (1) की पर्कित 15 में, (झक) “गैर पी डी एस किरोसिन” शब्दों के स्थान पर, (झक) “पीडीएस किरोसिन” पढ़ा जाए।

[फा. सं. 45011/94/2012-वितरण]

डॉ. नीरज मित्तल, संयुक्त सचिव